

	January 1971	April 1971	Percentage change (April 1971 over) (January 1971)
Aluminium utensils	148.4	148.4	No change
Pottery goods	138.4	138.4	No change
Toilet requisites	144.5	144.6	+0.1
Soap	144.7	144.7	No change
Lamps & lanterns	160.5	160.5	No change
Matches	114.1	114.1	No change

नेशनल बुक ट्रस्ट की पुस्तकों में अनुवाद तथा मुद्रण संबंधी गलतियाँ

631. श्री विभूति मिश्र : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल बुक ट्रस्ट ने अनेकों महत्वपूर्ण पुस्तकों का अंग्रेजी में हिन्दी में अनुवाद कराया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उनके मंत्रालय की इस बात की जानकारी है कि उन अनुदित पुस्तकों में गलतियाँ हैं ;

(ग) क्या लिथो टुवरैमन की "मैन्ज वर्डली गुड" (मनुष्य की भौतिक सम्पदाएँ) नामक पुस्तक में भाषा, पारिभाषिक शब्दावली तथा मुद्रण सम्बन्धी अनेकों गलतियाँ हैं .

(घ) यदि हाँ, तो उन पुस्तकों के अनुवाद, सम्पादन तथा प्रकाशन के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ; और

(ङ) ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :
(क) से (ङ). नेशनल बुक ट्रस्ट ने अनेक प्रमुख अंग्रेजी पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद किया है ।

उन अनदित सम्करण में गलतियों की भरमार का संबंध म न तो नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर न ही इस मंत्रालय को कोई शिकायत प्राप्त हुई है ।

सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि लिथो टुवरैमन की "मैन्ज वर्डली गुड" (मनुष्य की भौतिक सम्पदाएँ) नामक पुस्तक के अनदित सम्करण में, जिसे नेशनल बुक ट्रस्ट ने 1965 में प्रकाशित किया था । अनेक-गलतियाँ हैं । उसके विपरीत तो सुप्रसिद्ध हिन्दी विद्वानों ने पाठ्यलिपियों की समीक्षा करने समय बहुत प्रशंसा की है ।

नेशनल बुक ट्रस्ट अनुवाद और प्रकाशन में परिशुद्धता मुनिश्चित करने का बहुत ध्यान रखता है ।

सड़क कर आदि जमा करने में कठिनाई

632. श्री विभूति मिश्र : क्या नौबहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सब है कि जनपथ नई दिल्ली स्थित दिल्ली प्रशासन के परिवहन अधिकारी के कार्यालय से ड्राइविंग लाइसेंस आदि प्राप्त करने और सड़क कर जमा कराने में जनता को कठिनाई हो रही ; है

(ख) क्या यह भी मन है कि उक्त कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों से मिले हुये अनेक बिचौलिये उस कार्यालय के पासपास घूमने रहते हैं और उनको कुछ पतिरिक्त धन देने से काम बड़ी आसानी से हो जाता है । और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा नौबहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) . (क) कभी कभी व्यक्तियों को सड़क कर जमा करने के लिये जनपथ वायनियम में पब्लिक प्रतीक्षा करना पड़ती है और यह स्वाभाविक है कि उस हद तक उन्हें अनुविधा होती है। तथापि यदि मोटर गाड़ियों के मालिक दिल्ली मोटर कराधान अधिनियम, 1962 में उल्लिखित विभिन्न माफी अवधि के अंत में गदागमा करने से बचे रहे, और गर सरकार का कार और स्कूटर के मालिक कर जमा करने के लाजपत नगर मारबंद मार्ग, पूसा मार्ग इत्यादि के अतिरिक्त काउण्टरो से भी लाभ उठाते रहें।

परिचालन लाउसेस प्राप्त करने में जनता की हुई अनुविधा का कोई मामला दिल्ली प्रशासन की दृष्टि में नहीं आया है।

(ख) दिल्ली मोटर माड़ी कराधान कर की धारा 4 के अन्तर्गत मोटर गाड़ी का मालिक स्वयम् अथवा किसी अधिकर्ता (एजेंट) के मार्फत कर जमा कर सकता है। अतः यदि कोई मोटर गाड़ी मालिक किसी विचौलिया के मार्फत कर भेजता है तो दिल्ली प्रशासन अधिकर्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

छोटी बचत योजनाओं के अर्धीन जमा राशि

633. श्री जगन्नाथ राव जोशी . क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970-71 के दौरान छोटी बचत योजनाओं के अन्तर्गत 183.50

करोड़ रुपये की बचत हुई जबकि वर्ष 1969-70 के दौरान केवल 127 करोड़ रुपये की बचत हुई थी।

(ख) यदि हां, ता समाज के उन वर्गों का विवरण क्या है जिन्होंने इस योजना के अन्तर्गत अपनी बचत जमा की और उन वर्गों के नाम क्या है जो इसमें सहयोग देने में असफल रहे, और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मती सुशीला-रोहतगी) (क) हालांकि 1970-71 में अल्पबचत योजना के अन्तर्गत एकट्ठी की गई रकम के प्रतिम आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी सबसे हाल की सूचना के अनुसार 1970-71 में 188 करोड़ रुपये की रकम एकट्ठी हुई है जबकि 1969-70 में 127 करोड़ रुपये की रकम एकट्ठी हुई थी।

(ख) अल्प बचतों में एकट्ठी की गयी रकमों में आकर विभिन्न बचत पत्रों और जमा की विक्री और बिनाशी के अनुसार, योजनावार और राज्यवार उपलब्ध है। समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा अल्प बचतों में जमा की गयी रकमों के आंकड़ों सम्बन्धी सूचना एकत्रित करना सम्भव नहीं है, इसलिए यह बताना नहीं सम्भव है कि समाज के किस वर्ग ने इसमें सहयोग नहीं दिया है।

(ग) यह प्रश्न पैदा नहीं होता